//

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठसीन अधिकारी :– मंयक मनीष आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 05/2019

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. रामाराम पुत्र सादुलराम जाति जाट उम्र 67 वर्ष, निवासी– कांगटो का बास डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर।		1. कालूराम पुत्र श्री सादुलराम, 2. लिछमणराम पुत्र श्री सादुलराम जातियान जाट निवासीगण – कांगटो का बास, डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर। 3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील जोधपुर।

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय :– **दिनांक** 30/1/20

उपस्थिति :– वादी अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी
प्रतिवादी अधिवक्ता ओमप्रकाश फड़ोदा

वादी ने एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से निम्न निवेदन किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :– वादी के द्वारा उक्त वाद के जरिये जिस भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है, उक्त भूमि का बंटवाड़ा पूर्व में ही दिनांक 8.12.2002 को प्रशासन आपके द्वार में शिविर प्रभारी व नायब तहसीलदार, जोधपुर के आदेश क्रमांक 104/10, दिनांक 8.12.2004 के जरिये नामान्तरकरण संख्या 727 दर्ज कर, कर दिया गया था तथा माफिक बंटवाड़ा आदेश सभी खातेदारान् की भूमि अलग– अलग राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर ली गई है, इस कारण अब किसी प्रकार का बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया जाना काननून एवं न्याय संगत नहीं हैं इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्राकृति न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है, किसी भी भूमि का विधि अनुसार बंटवाड़ा होने

Scanned by CamScanner

के पश्चात् उक्त भूमि का पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त बंटवाड़े से सन्तुष्ट नहीं हो तो बंटवाड़ा आदेश के विरुद्ध अपील/निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु वादी के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील/ निगरानी प्रस्तुत नहीं कर पुनः बंटवाड़ा करवाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया गया हे जो विधि बाधित होने से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वादी की ओर प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधी बहस की गयी। रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में उल्लेख किया कि उपरोक्त भूमि खसरा नं. 203 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा का बंटवाड़ा हो गया है। बंटवाड़ा पूर्णतया फर्जी तरीके से और वादी अनपढ़ होने का फायदा उठाकर हस्ताक्षर करवाया गया है।

हमने प्रस्तुत वाद, राजस्व रेकर्ड, प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी का अध्ययन किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद का पूर्व में विधिवत बंटवाड़ा जो चुका है। इस कारण वादी का वाद विधि से बाधित होने से खारिज किया जावें।

The partition happened between the plaintiff and defendants and the respective shares were mutated in the respective khasras by mutation no. 727/8.12.04 as seen from the 2058-2061 samvat jamabandi. The plaintiff has claimed that the above mutation was done without his knowledge and thus a fresh suit of declaration and partition was brought forward by the plaintiff. We listened to both the sides. The court is of the opinion that in case the plaintiff is not satisfied with the mutation filled on the basis of partition, he is free to approach appellate courts to set aside the mutation. The court does not have the jurisdiction to listen to mutation appeals. Thus the plaintiff is barred by law to bring a suit on this matter.

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(मंयक मनीष) आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 30.1.20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनासा गया।

(मंयक मनीष) आई.ए.एस
स्हायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर व इजलास मंयक मनीष (आई.ए.एस.)

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. रामाराम पुत्र सादुलराम जाति जाट उम्र 67 वर्ष, निवासी– कांगटो का बास डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर।		1. कालूराम पुत्र श्री सादुलराम, 2. लिछमणराम पुत्र श्री सादुलराम जातियान जाट निवासीगण – कांगटो का बास, डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर। 3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील जोधपुर।

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मुकदमा नम्बर 05/2019 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण के अधिवक्ता श्री सोनू चौधरी व श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण ओम प्रकाश फड़ौदा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

लीज -----x------- मुबलिक ----x------- बाबत ----x------ खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह -------- x------- की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ---x---को अदा करें।

अन्तिम डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30/1/20 की जारी की गई।

(मंयक मनीष)
आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अहवान् बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् दजराय हुक्मनामा मतफरिक		

(मंयक मनीष)
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2020.01.31 15:57:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: